



देवीअहिल्याविश्वविद्यालय,इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर- 452001

क्रमांक-प्रशा/2023/357

दिनांक

13 APR 2023

// आदेश //

सर्व संबंधितों को आदेशित किया जाता है, राज्य शासन द्वारा प्रदेश के संपूर्ण शासकीय कार्यालयों में कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किया जाकर कार्यालय का समय प्रातः 10.00 से शाम 6.00 बजे निर्धारित किया गया है, इसी तारतम्य में विश्वविद्यालय द्वारा भी आदेश क्रमांक/प्रशा/दिशा.निर्देश/2023/98 दिनांक 01/02/2023 जारी किया गया था ।

उक्त निर्देशों के पालनार्थ प्रायः यह देखने में आ रहा है कि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालयीन समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, एवं समय के पूर्व कार्यालय से चले जाते हैं। अतः समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण अनिवार्यतः कार्यालयीन समय पर उपस्थित हों, एवं कार्यालय समय समाप्त होने तक कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

Arun

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/प्रशा/2023/357
प्रतिलिपि:-

दिनांक

13 APR 2023

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख समस्त अध्ययनशालाएं एवं संस्थानों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. समस्त, अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. कुलपति के सचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।
5. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेटर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

नोट: माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार प्रशासकीय कार्यालयों की उपस्थिति पंजी प्रातः 11.00 बजे कुलपति कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।